यह मामला दूसरे चरण में आया था तो उस वक्त मैं सरकार में नहीं था। उन दिनों मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि जब यह पहला आदेश जारी हो रहा था तो दो चुनाव इस देश में हुए थे। एक उप-चुनाव हुआ था, जो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का था और दूसरा अलेक्जेन्डर साहब का था। इसमें दोनों को एफेडेविट देना पड़ा था। तिवारी साहब ने लिखा कि मेरे खिलाफ वर्ष 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के कोई केस हैं जिसकी लिस्ट आपने मांगी है, वे मुझे याद नहीं है और आपने जो नोमीनेशन दिया था उसमें हायर एजुकेशन की तो डिटेल दे दी थी, मैंने उस वक्त भी कहा था, लेकिन स्कूल एजुकेशन क्या है उस कॉलम को नहीं भरा था। इस आधार पर नोमीनेशन रिजेक्ट होंगे या नहीं, यह एक विषय है। मैं इस संबंध में सभी राजनैतिक दलों से बात करने का प्रयास करूंगा।

श्री सभापति: ठीक है, सभी राजनैतिक दलों से बातचीत करिए।

श्री लालू प्रसाद: बातचीत तो हो ही गई महोदय। आप इसको समाप्त करने की कार्यवाही करिए। आप इस पर बिल पास करिए।

*203. [*The questioner (Shri Datta Meghe) was absent for answer vide page 37-38*]

Pilferage of medicines

†204. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that medicines supplied for different hospitals were seized during a raid conducted on the 9th June, 2003 by the Drugs Control Department, Delhi and the Bureau of Economic Offences;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of employees of hospitals and chemists involved in this racket and the hospitals to which they belong to;

(d) the action taken by Government against the culprits; and

(e) the arrangements made by Government to check recurrence of such incidents in future?

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) 1. Government of NCT of Delhi has informed that information was received by the officers of Drugs Control Department, Delhi that one Mr. Pradeep Kumar Bhargava was dealing in drugs and surgical items without having requisite drug licence from the premises situated at 2186, 2nd floor, Chah Indara Fountain, Delhi and is also indulging in the trading of various items of drugs pilfered from various Government Institutes. A joint raid was carried out by the officers of Drugs Control Department, Delhi along with officers of Crime Branch, Delhi Police, at the premises of Pradeep Bhargava, S/o late Shri Onkar Nath Bhargava on 7.6.2003, and not on 9th June, 2003, as mentioned in the Question.

2. Drugs and Surgical items bearing markings of "Government Supply, Not for Sale" worth Rs. 30 lacs approximately, were seized by the Drugs Inspector, Government of Delhi, and non-drug items worth Rs. 50,000/- were seized by Delhi Police. A total number of 4 samples were collected for test/analysis by the Drugs Inspector. The test reports are awaited. An FIR was registered against the said Pradeep Bhargava under Section 18/27 of Drugs and Cosmetics Act, 1940 and IPC with P.s. Kotwali, New Delhi. The investigation is in progress.

3. Whenever any drugs meant for Government supply are detected in the market, attempts are made to trace out the source to curb such incidents—the medical stores/procurement agencies are contacted and requested to find out the person responsible for the pilferage from the stores. It is the continuous endeavour of the Government for better management of stores and strengthening of Inventory Control Systems.

श्री मोती लाल वोरा: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 9 जून को प्रदीप भार्गव फर्म पर रेड किया। उस वक्त वहां गवर्नमेंट सप्लाई के करीब 30 लाख, 50 हजार रुपए के आइटम्स पाए गए। मैं जानना

चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट सप्लाई के आइटम्स में जो गवर्नमेंट की इन्वेंटरी होती है, क्या वह इन्वेंटरी 30 जून से पहले कभी चैक की गई? गवर्नमेंट सप्लाई के लिए जो आइटम्स रिज़र्व थे, वे दूसरे किसी व्यक्ति के पास कैसे चले गए? उसके साथ-साथ इस रैकेट में विभिन्न अस्पतालों के जो लोग शामिल थे, उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है, इसका उल्लेख माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में नहीं किया है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि FIR दर्ज हो गई है और इसकी जांच हो रही है। महोदय यह मामला बहुत गंभीर है। इसलिए जो गवर्नमेंट इन्वेंटरी स्टोर है, उसकी बराबर चैकिंग होनी चाहिए। न मालूम कितनी बार इस प्रकार की इन्वेंटरी में जो दवाइयां दर्ज रहती हैं, वे दूसरे लोगों के पास पहुंच जाती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह मामला दिल्ली सरकार से संबंधित है और इसलिए मैंने जो भी सूचना लिखित रूप में माननीय सांसद को दी है, वह वही है जो दिल्ली सरकार ने हमको दी है। उन्होंने इन्वेंटरी चैक की थी या नहीं की थी, यह इन्फॉरमेशन दिल्ली सरकार ने हमको नहीं दी है लेकिन मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को यह बात बताना चाहती हूं कि एक हॉस्पिटल मैनुअल है, उसमें यह साफ लिखा है कि हर दवा की इन्वेंटरीज़ बनाई जाएंगी, जो-जो दवा जिस समय निकाली जा रही है, वह उस इन्वेंटरी में ऐड होगा और उसकी बकायदा चैकिंग होगी। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आए, जैसे यह दिल्ली सरकार से संबंधित मामला सामने आया, एक बार AIIMS का मामला सामने आया, PGI का मामला सामने आया था, CGHS का मामला सामने आया था, तो हम वापस उसको रिइटरेट करके यह करने जा रहे हैं कि हर हॉस्पिटल का MS हर महीने स्वयं इन्वेंटरी चैक करे और यह देखे कि उसमें से किस-किस तरह से माल बाहर जा रहा है। अगर हर महीने यह चैकिंग होगी, निगरानी होगी तो इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकेगी। यह हम अपनी ओर से कर रहे हैं। लेकिन यह चूंकि दिल्ली सरकार का मामला है, इसलिए सूचना उतनी ही दी जा सकती है जितनी दिल्ली सरकार ने हमें दी है।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने दिल्ली सरकार की बात तो कह दी लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल हैं, क्या आप उनकी इन्वेंटरी बराबर चैक कराती हैं?

श्री सभापति: अभी इन्होंने कहा कि ये चैक कराने की व्यवस्था कर रही हैं।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, व्यवस्था की बात नहीं है। मरीजों को दवाइयां मिल नहीं पाती हैं। अस्पतालों में इस प्रकार के रैकेट काम कर रहे हैं और इन रैकेटों के काम करने के कारण जिन मरीजों को दवाइयां मिलनी चाहिए थीं, वे उन्हे मिल नहीं पाती हैं और दूसरों के पास वे दवाइयां पहुंच जाती हैं।

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, इन्होंने पूछा कि क्या आप इन्वेंटरी चैक कराती हैं? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हॉस्पिटल मैनुअल में इसकी व्यवस्था है लेकिन उसको रिइटरेट करने के लिए हम लोग MSs को लिख रहे हैं कि वे हर महीने अपने स्तर पर जरूर चैक करें। अभी तक व्यवस्था है कि हॉस्पिटल मैनुअल के तहत इन्वेंटरीज़ की चैकिंग होनी चाहिए लेकिन जब इस तरह के केसेज आते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सरकार की तरफ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन चीजों को पुन: दोहराए। तो हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि MS अपने स्तर पर हर महीने इन्वेंटरी चैक करे ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, हॉस्पिटलों को जो दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, उनमें 2 समस्याएं सामने आती हैं— एक तो चोरी, पिलफ्रेज जो पकड़ी गई है और दूसरा स्पुरियस मेडिसिन। इस वक्त दवाइयों का 25 प्रतिशत ट्रेड स्पुरियस मेडिसिन का चल रहा है। कैपसूल में बेसन भरा रहता है, चावल का पाउडर भरा हुआ होता है। मान्यवर, अभी दिल्ली में जो हुआ और मंत्री महोदया ने जवाब दिया कि उसमें 30 लाख रुपए की मेडिसन पकड़ी गई। यह एक ऐसा मामला है स्पुरियस मेडिसन का और चोरी का, जिसमें आपने स्पुरियस मेडिसिन के लिए कहा कि डेथ पैनल्टी होनी चाहिए। मशेलकर कमेटी के सामने इस ट्रेड ने आपके इस सुझाव को नहीं माना। लेकिन यह बाप देश हित में कर दीजिए। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में बहन जी दो कानून चलाएंगी। अभी कोलकाता में ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप क्वेश्चन की लीजिए।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, हॉस्पिटलों को जो दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, उनमें 2 समस्याएं सामने आती है-एक तो चोरी, पिलफ्रेज जो पकड़ी गई है और दूसरा स्पुरियस मेडिसिन। इस वक्त दवाइयों का 25 प्रतिशत ट्रेड स्पुरियम मेडिसन का चल रहा है। कैपसूल में बेसन भरा रहता है, चावल का पाउडर भरा हुआ होता है। मान्यवर, अभी दिल्ली में जो हुआ और मंत्री महोदया ने जवाब दिया कि उसमें 30 लाख रुपए की मेडिसन पकड़ी गई। यह एक ऐसा मामला है स्पुरियस मेडिसन का और चोरी का, जिसमें आपने स्पुरियस मेडिसिन के लिए कहा कि डेथ पैनल्टी होनी चाहिए। मशेलकर कमेटी के सामने इस ट्रेड ने आपके इस सुझाव को नहीं माना।

लेकिन यह आप देश हित में कर दिजिए। मान्यवर, मेरा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में बहन जी दो कानून चलाएंगी। अभी कोलकात्ता में .....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कर लिजिए।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, अभी कोलकत्ता में एक सर्च हुई थी जिसमें नारकोटिक्स का सामान पकड़ा गया सी॰बी॰आई॰ के जोइंट डायरेक्टर यू॰ एन॰ बिश्वास के घर पर। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: उसमें मिलावट थी क्या? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, ये लोग बात समझ नहीं रहे हैं और बेकार में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप उनको देखो ही मत।

श्री प्रेम गुप्ता: सर, उसमें कफ सीरप बनाने का नकली मेटीरियल पाया गया। वह ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं। नारकोटिक ड्रग्स का जो माल मिला वह तो मिला है लेकिन उसमें कफ सिरप बनाने का भी माल मिला है।

श्री सभापति: बस, इतना ही बहुत है।

श्री प्रेम गुप्ता: वह तो आपके नारकोटिक डिपार्टमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने किया है। तो क्या उसके खिलाफ आप सख्त एक्शन ले रहे हैं यह मैं आपसे जानना चाहूंगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, भाई प्रेम गुप्ता जी ने तीन बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जो दवाईयां सप्लाई होती हैं उसमें चोरी के साथ स्पूरियस की समस्या है। यहां मैं कहना चाहूंगी कि स्पूरियस ड्रग की मांग देश में है यह एक चीज है। लेकिन जो हॉस्पिटल को सप्लाई होती है वह हमारे एम॰एस॰ओ॰ जिनसे हम प्रिक्योर करते हैं हमारे मास्टर सर्विस स्टोर आर्गनाइजेशन से या एच॰एस॰सी॰सी॰ हमारा अपना एक पी॰एस॰यू॰ है जो लेता है वह लेने से पहले भी चैकिंग करता है और लेने के बाद भी चैकिंग करता है। इसलिए स्पूरियस रैकेट अलग है। हॉस्पिटल को सप्लाई की जाने वाली दवाईयां स्पूरियस न हों इसके बारे में पूरी एहतियात और पूरी सावधानी बरती जाती है। जहां तक स्पूरियस ड्रग्स का सवाल है, उन्होंने स्वयं यह भी बताया कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह बात कही है कि हम उसके लिए डैथ पैनाल्टी लाएंगे और आपने कहा कि Mashelkar Committee के सामने ट्रेड ने नहीं माना। ट्रेड का मानना या नहीं मानना महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है यहां मेरे बिल को लाकर आप लोगों का समर्थन मिलना।

श्री प्रेम गुप्ता: हम सब सपोर्ट करेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि आप यह बिल लाइए हम समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि स्पूरियस ड्रग को रोकने के लिए मोस्ट डिटेंरेंट पनिशमेंट की जरूरत है और सदन का समर्थन मुझे उसके लिए चाहिए होगा। जहां तक यू॰एस॰ बिश्वास वाला मामला है, वह मामला कोर्ट में है और ऑलरेडि कानून अपना काम कर रहा है।

श्री सभापति: मुझे बताइए कि दवाईयों में स्पूरियस ड्रग्स के मामले में कानून तो बना हुआ है, लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इंवेस्टीगेशन करने में क्यों देरी होती है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो कानून बना हुआ है वह कानून टूथलैस है। मतलब आप हैरान होंगे कि स्पूरियस ड्रग्स के मामले में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: टूथलैस तो पार्लियामेंट ने ही बनाया हुआ है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिस समय बना था तभी तो आज महसूस हो रहा है कि उसको कड़ा बनाया जाए। आप हैरान होंगे कि स्पूरियस ड्रग्स के ऑफेंस बेलेबिल हैं, जाते ही जमानत होती है। नॉनकॉगनिजेबिल है। नॉन-कॉगनिजेबिल और बेलेबिल वे ऑफेंस होते हैं जो साधारण से भी कम वाले होते हैं। इसलिए उस कानून को कठोर बनाने के लिए मैंने यह बात कही है और आपके आदेश से और आपकी कृपा से उस बिल को जब हम लाऐंगे तो उसको पारित करवाइएगा।

श्री लालू प्रसाद: प्राइवेट लोगों को तो आपने इजाजत दे दी। तो कोई ईसन भर रहा है। दवा खाने पर देह में कोई घनघनाहट नहीं होती, फांक जाइए ऐसे ही चूरा जैसा। इसकी तो आप जांच कराइए।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। हो गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कराएंगे।

श्री लालू प्रसाद: खड़े होकर बोलिएगा या बैठे-बैठे कहेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कराएंगे, कराएंगे लालू जी।

श्री सभापति: कौन से कैप्सूल में आपको बेसन मिला है, उस दवाई का नाम क्या है?

श्री लालू प्रसाद: उसमें बेसन है। बी-कम्पलेक्स में।

Health for all by 2000

*205. SHRIMATI SHABANA AZMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government had a plan for Health for All by 2000;

(b) the extent to which Government have implemented the plan so far;

(c) whether it is a fact that despite the plan 1000 Indians die every day of tuberculosis and other diseases; if so, the reasons therefor;